(राजस्थान–सरकार)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी भंवर लाल जनागल (आर.ए.एस.)

प्रथम अपील संख्या :– 21 / 2025

पंजीकरण संख्या :– 2025 / 90

बउनवान

श्री रमेशचंद निवासी वार्ड नं. 08, छबड़ा जिला बारॉ(राज.) मो.नं. 9784266545

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा / तहसीलदार छबड़ा जिला बारां

(प्रत्यर्थी)

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1)

निर्णय दिनांक 02.12.2025

प्रस्तुत प्रथम अपील इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 01.09.2025 को लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार छबड़ा को अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर 05 बिंदुओं की सूचना चाही गई थी जो निम्नलिखित है :–

1. मेरी भूमि में रास्ता (मार्ग) दिखाने का आधार क्या है ?
2. पटवारी / गिरदावर द्वारा दी गई रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाई जाए।
3. उक्त रिपोर्ट किस राजस्व अभिलेख (जमाबंदी, खसरा, नक्शा, रिकार्ड ऑफ राइट्स) के आधार पर तैयार की गई, उसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
4. यदि कोई आदेश / निर्णय (तहसीलदार / एसडीएम / कलक्टर स्तर का) है, तो उसकी प्रमाणित प्रति दी जाए।
5. यदि कोई अभिलेख / आदेश उपलब्ध नहीं है तो लिखित में सूचित किया जाए कि किस कारण से रास्ता दर्शाया गया।

अपीलार्थी को उक्त 05 बिंदुओं की सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर उसके द्वारा प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत विरूद्व (प्रत्यर्थी) लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा एवं तहसीलदार छबड़ा के विरूद्व पेश कर निवेदन किया कि प्रथम आवेदन–पत्र में चाही गई सूचना उपलब्ध करावें।

इस पर प्रस्तुत प्रथम अपील को दिनांक 04.11.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा एवं तहसीलदार छबड़ा को जरिये सम्मन कमांक 854–856 दिनांक 04.11.2025 से तलब कर, प्रस्तुत अपील मेमो की छायाप्रति भिजवाई जाकर जवाब तलब किया गया तथा अपीलार्थी को भी जरिये रजिस्टर्ड सम्मन कमांक 854–856 दिनांक 04.11.2025 से तलब किया गया।

अपीलार्थी बावजूद सूचना के इस न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा द्वारा उनके कार्यालय के पत्र कमांक / आरटीआई / 2025 / 136 दिनांक 02.12.2025 से जवाब इस न्यायालय में भिजवाया गया जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को भी दी गई। उक्त जवाब में अवगत करवाया गया कि अपीलार्थी द्वारा उनके कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत आवेदन हीं प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार छबड़ा द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक/भू.अ./2025/4161–4162 दिनांक 19.11.2025 से जवाब इस न्यायालय में भिजवाया गया जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को भी दी गई। उक्त जवाब में अपीलार्थी को 05 बिंदुओं की बिंदुवार सूचना भिजवाई गई जो निम्नानुसार है :–

1. अपीलार्थी की भूमि में रास्ता नहीं दिखाया गया है।
2. पटवारी/गिरदावार द्वारा दी गई रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति संलग्न है।
3. उक्त रिपोर्ट राजस्व अभिलेख की वर्तमान जमाबंदी व मौके एवं नक्शे के आधार पर तैयार की गई है।
4. न्यायालय उपखंड अधिकारी छबड़ा के प्रकरण संख्या 21/2024 की धारा 136 के आधार पर तैयार की गई है।
5. अभिलेख/आदेश संलग्न है।

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील एवं लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा एवं तहसीलदार छबड़ा से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई 05 बिंदुओं की सूचना के संबंध में अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, छबडा द्वारा सूचना उपलब्ध करवा दी गई है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा एवं तहसीलदार छबड़ा के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत खारिज की जाती है। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि अपीलार्थी को एवं लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा एवं तहसीलदार छबड़ा को रजिस्टर्ड डाक से सूचनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक **02.12.2025** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(भंवर लाल जनागल)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ